05.11.24

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि आदेश नामान्तकरण प्रविष्टि क0सं0 106 दिनांक 09.11.1973 सरपंच ग्राम पंचायत चूली व आदेश नामान्तकरण सं0 94 दिनांक 03.06.1989 तहसीलदार भू–अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी एवं नामान्तकरण सं0 256 दिनांक 01.02.1994 विधि विरूद्ध पारित किये गये है। अपीलार्थी को पूर्व में उक्त गैरकानूनी एवं विधि विरूद्ध निष्पादित किये गये नामान्तकरण आदेशें का ज्ञान नहीं रहा है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अपने पिता के अन्य आराजी के राजस्व रिकोर्ड की नकलें प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, उस दौरान अपीलार्थी को उक्त गलत आदेशें की जानकारी हुई है। प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल दिनांक 14.03.2024 व दिनांक 30.04.2024 को प्राप्त हुई। इस कारण जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने आरआरटी 2022 (1) पेज नं0 467 , आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 1040, आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 1115, आरआरटी 2023 (2) पेज नं0 1241 नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 6 ने दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अपनी अनापत्ति व्यक्त की तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर गलत आधारों पर प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलार्थी के पिता कालूराम द्वारा अपनी उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चंदन पुत्र मूलचन्द महाजन साकिन गंगापुर सिटी को विक्रय कर दिया था तथा चंदन के हक में तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक भू–अभिलेख 1504 दिनांक 05.05.89 के चंदन पुत्र मूलचन्द्र की खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये थे तथा चंदन से उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रामप्रसाद जाति गुर्जर ने क्रय कर लिया तब ही से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा 1993 से ही रेस्पोडेन्ट काबिज चले आ रहे है। जिसकी शुरू से ही जानकारी अपीलार्थी को थी। उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी पक्ष को उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजात निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन अपीलार्थी लक्ष्मा ने तथ्यों को छुपाते हुए यह अपील मियाद बाहर गलत आधारों पर प्रस्तुत की है,साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने सीसीसी 2022 (2) पेज नं0 158, सीसीसी 2020 (2) पेज नं0 545, सीसीसी 2022 (2) पेज नं0 891, सीसीसी 2022 (1) पेज नं0 575 नजीरे पेश कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में आदेश नामान्तकरण प्रविष्टि क0सं0 106 दिनांक 09.11.1973 सरपंच ग्राम पंचायत चूली व आदेश नामान्तकरण सं0 94 दिनांक 03.06.1989 तहसीलदार भू–अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी एवं नामान्तकरण सं0 256 दिनांक 01.02.1994 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। उक्त आदेश 50 वर्ष , 35 वर्ष व 30 वर्ष पुराना है। नामान्तकरण सं0 256 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक रजिस्ट्री विकेता द्वारा केता (रिस्पोडेन्ट सं0 1 व 2) को कब्जा समलवाया जा चुका है। ऐसी स्थिती में

5/11/24

उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को ना होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील दिनांक 07/05/2024 को न्यायालय हाजा में पेश की है। जबकि अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि उक्त नामान्तकरण आदेश का ज्ञान अपीलार्थी को दिनांक 13.03.2024 को हुई। जिसकी नकल दिनांक 14.03.2024 व 30.04.2024 को प्राप्त हुई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण सं0 04 दिनांक 03/06/89 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण की नकल अपीलार्थी को दिनांक 12/12/2023 को ही प्राप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी का यह कथन की उक्त नामान्तकरण आदेशों का ज्ञान अपीलार्थी को दिनांक 13/03/2024 को हुआ है, तथ्यात्मक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 12/12/2023 को ही हो चुकी थी। अर्थात अपील पेश करने के 4 माह पूर्व ही। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरें 2023 (2) आरआरटी 1115 मा0 उच्चतम न्यायालय उनवान दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम जमन सिंह वगै0 में "मा0 न्यायालय द्वारा धारा–5 अपील पेश करने में 1231 दिनों की देरी –विलम्ब का शमन–नरम व न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है– पक्षकारों के सारभूत अधिकार का केवल विलम्ब के आधार पर निष्फल नही होने चाहिये–निर्णय जिस पर आलोच्य निर्णय आधारित है, ओवररूल किया गया, विलम्ब माफ करने हेतु आधार नहीं है–धारा 5 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र बहुत ही आकस्मिक ढंग से ड्राफ्ट किया गया अंकित किया हुआ है" तथा अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीर 2023 (2) आरआरटी 1241 मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर उनवान हुकुमराम बनाम मीरा में "मा0 न्यायालय द्वारा आदेश जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है।" रेसपोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे सीसीसी 2022 (2) 158 "मा0 उच्चतम न्यायालय के अनुसार विलंब को माफ करने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पाया है कि विलंब को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।" रेसपोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर सीसीसी 2020 (2) 545 "मा0 उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के अनुसार धारा 5 – विलम्ब की क्षमा गरीबी और कानून की अज्ञानता विलम्ब की क्षमा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।" रेसपोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर सीसीसी 2019 (1) "मा0 उच्च न्यायालय उड़ीसा के अनुसार 5 विलम्ब की क्षमा–अपील दायर करने में 198 दिनों का विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया –विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। "अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष दायर अपील में हुई देरी 50 वर्ष, 35 वर्ष तथा 30 वर्ष के संबंध में उचित दस्तावेज/साक्ष्य एवं कारण प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जिससे विलम्ब/देरी को क्षमा प्रदान करना न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार गानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी